झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–911 वर्ष 2017

रॉसलिन हेमरॉन, पत्नी–स्वर्गीय दिलीप हेमरॉम, अवकाशप्राप्त सहायक शिक्षक, एस0पी0जी0 मिशन मध्य विद्यालय, चुटिया, रांची, निवासी–खोराटोली, आनंद नगर, कोकर, डाकघर–कोकर, थाना–सदर, जिला–रांची।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची, धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची।
5. सचिव/प्रधानाध्यापक, एस0पी0जी0 मिशन मध्य विद्यालय, चुटिया, रांची, डाकघर एवं थाना–चुटिया, जिला–रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री दीपक कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– ए0जी0 का जे0सी0

02/दिनांकः14वीं फरवरी, 2017

1. तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि सेवानिवृति के बाद भी याचिकाकर्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. जैसा कि रिट आवेदन में बताया गया है, तथ्य यह है कि याची को वर्ष 1981 में एस0पी0जी0 मिशन मध्य विद्यालय, चुटिया, रांची में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30.09.2016 को सेवानिवृत्त हुआ था। जिस स्कूल से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुआ है, वह सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल है और स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्तपोषित किए जा रहे हैं।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची की शिकायत एक बहुत ही संकीर्ण कम्पास में निहित है और 2013 की रिट याचिका संख्या 506, 509 और 512 में पारित इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान का सवाल है, याचिकाकर्ता सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और यह मुद्दा मरियम तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2014 (1) जेबीसीजे 465) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए

अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और अब अपील के लिए स्पेशल लीव (सी) संख्या 20606–20607/2014 में पारित फैसले के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रखा गया है। तद्नुसार, याचिकाकर्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक को देय अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

6. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, याची के प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में निर्णय लेने के लिए प्रत्यर्थी सं0 4 को निर्देश देकर निपटान किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)